

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमांक: प.12(3)(6)(3-1)भू.आ./राजस्व/2021/

दिनांक:- 07/06/2021

आदेश

शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक: 6(91)राज-3/ 2021 जयपुर, दिनांक 04.06.2021 के अनुसरण में तथा उपवन संरक्षक करौली को पत्र क्रमांक 1643 दिनांक 17.03.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर सम्पर्क सड़क कार्य सिलपुरा से पालनपुर अण्डर रूलर सत्र 2013-14 के काम में आने वाली ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन की वन भूमि ख0न0 1164 रकबा 68.1300 है0 में से 0.4740 है0 एवं ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन की भूमि ख0न0 706 रकबा 75.3200 है0 में से 0.7050 है0 कुल किता-2 कुल रकबा 143.45 है0 में से 1.1790 है0 वन भूमि कि किस्म (संलग्न नक्शानुसार) खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व भूमि आवंटन नियम 1963 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित की जाती है। उपरोक्त वन भूमि के बदले ग्राम सिलपुरा तहसील करौली की भूमि ख0न0 301 रकबा 45.04 बीघा किस्म गै0मु0पहाड में से 1.1790 है0 गैर वन भूमि (संलग्न नक्शानुसार) खारिज कर वन विभाग को हस्तांतरण की जाती है।

हस्ता

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

दिनांक:- 07/06/2021

क्रमांक/सम/2021/1475-83

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं पाठनार्थ प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक: 6(91)राज-3/ 2021 जयपुर, दिनांक 04.06.2021 के अनुसरण में।
2. उपवन संरक्षक करौली।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 करौली।
4. उपखण्ड अधिकारी करौली/हिण्डौन।
5. तहसीलदार करौली/हिण्डौन।
6. अधिशासी अभियन्ता सा0नि0वि0 करौली।
7. रक्षित प्रतिलिपि।

कार्यालय-अधिशासी अभियन्ता
सा0नि0वि0, खण्ड-करौली
114 9.6.21
ऑडिटर
R.C. O.A. B.A. T.A. E.E.

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

(हजारायण मीणा)
अधिशासी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड करौली